

बिहार सरकार  
उद्योग विभाग  
शुद्धि पत्र

सं0सं0-ह0क0-(14)योजना (पावरलूम)-03/2015 खण्ड

स्वीकृत्यादेश सं0-660 दिनांक-22.02.2017 की कंडिका-5 में उल्लिखित "स्वीकृत राशि 10.00 लाख की निकासी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप विकास पदाधिकारी(वस्त्र) हस्तकरघा सघन विकास योजना, गया होंगे", के स्थान पर निम्नवत् पढ़ा जाये:-

"स्वीकृत राशि 10.00 लाख की निकासी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप विकास पदाधिकारी(वस्त्र) हस्तकरघा सघन विकास योजना, गया होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कोषागार से राशि की निकासी सार विपत्र-BTC-26 पर एक मुश्त अग्रिम के रूप में करेंगे"।

प्रस्ताव में विभागीय माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।  
शेष शर्तें एवं बंधेज यथावत रहेंगे।

  
प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 1272

पटना, दिनांक- 27/03/2017

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


  
प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 1272

/ पटना, दिनांक- 27/03/2017

प्रतिलिपि- जिला कोषागार पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 1272

/ पटना, दिनांक- 27/03/2017

प्रतिलिपि- उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र), हस्तकरघा सघन विकास योजना, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 1272

/ पटना, दिनांक- 27/03/2017

प्रतिलिपि- वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/आय-व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/बजट शाखा उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ बजट शाखा उद्योग निदेशालय/उप उद्योग निदेशक (योजना शाखा), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, गया/प्रमण्डलीय आयुक्त, गया/आई0टी0मैनेजर, उद्योग विभाग/वस्त्र आयुक्त, निष्ठा भवन, 48, न्यू मैरिन लाईंस, मुम्बई-400020 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।